



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1946 (श10)

(सं0 पटना 737) पटना, मंगलवार, 6 अगस्त 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2024

सं० एल०जी०-01-15/2024-4829/लेज: 1— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 05 अगस्त, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 16, 2024)

बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- (1) यह अधिनियम बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिस तिथि से राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना निर्गत करेगी।

2. परिभाषाएँ :- (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसके अन्तर्गत लोक परीक्षा में उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;
- (ख) "संचार युक्ति" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ha) में है;
- (ग) "सक्षम प्राधिकरण" से राज्य सरकार का ऐसा विभाग अभिप्रेत है जो परीक्षा प्राधिकरण के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है;
- (घ) "कम्प्यूटर नेटवर्क", "कम्प्यूटर संसाधन", "कम्प्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज), खंड (ट) और खंड (ठ) में क्रमशः है;
- (ङ) "लोक परीक्षा का संचालन" के अंतर्गत लोक परीक्षा का संचालन कराने हेतु अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं और क्रियाकलाप, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे;
- (च) "संस्थान" में से कोई लोक परीक्षा प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता से भिन्न कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कंपनी" के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म भी सम्मिलित है;

- (छ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- (ज) "संगठित अपराध" से ऐसी विधि विरुद्ध गतिविधि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी लोक परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों में संलिप्त होकर मिलीभगत और षड्यंत्र के अनुसरण में या सदोष अभिलाभ हेतु साझे हित को बढ़ाने के लिए कारित की जाय;
- (झ) "सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करे चाहे ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या अभिकर्ता या सहायक है;
- (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ट) "लोक परीक्षा" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित कोई परीक्षा अभिप्रेत है;
- (ठ) "लोक परीक्षा प्राधिकरण" से लोक परीक्षाओं को संचालित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ड) "लोक परीक्षा केन्द्र" से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जिनका लोक परीक्षा संचालित कराने के लिए उपयोग किए जाने हेतु सेवा प्रदाता द्वारा या अन्यथा, लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयन किया जाता है और जिसके अंतर्गत अन्य के साथ कोई विद्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, संस्था, कोई भवन या उसका कोई भाग भी सम्मिलित है और इसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण परिधि तथा उससे संलग्न भूमि भी सम्मिलित हैं जिनका प्रयोग लोक परीक्षा के संचालन हेतु सुरक्षा और अन्य संबंधित कारणों हेतु किया जा सकेगा;

- (द) "सेवा प्रदाता" से कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, जिसके अंतर्गत किसी कम्प्यूटर संसाधन या किसी सामग्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की सहायता प्रदान करने हेतु इसके सहयुक्त, उप-टेकेदार और कम्प्यूटर संसाधन या किसी अन्य सहायता के, जिनको किसी भी नाम से जाना जाय, प्रदाता भी सम्मिलित हैं जो लोक परीक्षा के संचालन के प्रयोजन हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किए गए हैं ; और
- (ण) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है; बिहार सरकार।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन विधियों में हैं।

अध्याय 2

अनुचित साधन और अपराध

3. अनुचित साधन ।— लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया या कराया जाने वाला कोई कृत्य या लोप सम्मिलित होगा और जिसमें धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य सम्मिलित होगा, परंतु केवल इन्हीं तक प्रतिबंधित नहीं होगा—
- (i) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट करना;
 - (ii) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ भागीदारी करना;
 - (iii) प्राधिकार के बिना प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना;
 - (iv) किसी लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का हल प्रदान करना;
 - (v) लोक परीक्षा में किसी भी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;
 - (vi) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जिसमें ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीटें भी हैं;
 - (vii) किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय, बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना;
 - (viii) लोक परीक्षा को स्वयं या अपने अभिकरण के माध्यम से संचालित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करना;
 - (ix) किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थी का लघु सूचीयन करने या किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम रूप दिए जाने के लिए किसी आवश्यक दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना;
 - (x) किसी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना;
 - (xi) कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी कम्प्यूटर संसाधन या कम्प्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना;
 - (xii) परीक्षा में अनुचित साधनों को अंगीकार करने को सुगम बनाने के लिए अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, तारीखों और पालियों के आवंटन में हेर-फेर करना;
 - (xiii) लोक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार के किसी प्राधिकृत अभिकरण से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को खतरे में डालना या सदोष परिरोध करना; या लोक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना;
 - (xiv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाइट बनाना; और
 - (xv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली परीक्षा संचालित करना, जाली प्रवेश पत्र या प्रस्ताव पत्र जारी करना।
4. अनुचित साधन के लिए षड्यंत्र ।— कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं, ऐसे किन्हीं भी अनुचित साधनों में संलिप्तता को बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत या षड्यंत्र नहीं करेगा।

5. लोक परीक्षा आयोजित करने में व्यवधान ।—

- (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य या लोक परीक्षा को संचालित करवाने का कोई कार्य नहीं सौंपा गया है या उसमें नहीं लगाया गया है और जो अभ्यर्थी नहीं है, वह लोक परीक्षा के संचालन को भंग करने के आशय से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
- (2) लोक परीक्षा संचालित करवाने में अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत, लगा हुआ या न्यस्त कोई भी व्यक्ति, प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व—
 - (क) धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए अनधिकृत रीति में प्रश्नपत्रों को नहीं खोलेगा, लीक नहीं करेगा या अपने पास नहीं रखेगा या पहुंच नहीं बनाएगा या हल नहीं करेगा या ऐसे प्रश्नपत्र या इसके किसी भाग या इसकी प्रति को हल करने में किसी की सहायता नहीं लेगा;
 - (ख) किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय सूचना नहीं देगा या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन नहीं देगा, जहां ऐसी गोपनीय सूचना धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए प्रश्नपत्र से संबंधित या संदर्भ में हो।
- (3) कोई भी व्यक्ति, जो लोक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त हो या लगाया गया हो, सिवाय जहां उसे अपने कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, ऐसी किसी भी सूचना या उसके किसी भाग, जो उसे इस प्रकार सौंपे जा रहे कार्य के नाते उसकी जानकारी में आई है, को अनुचित लाभ या सदोष अभिलाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष न तो प्रकट करेगा, न ही प्रकट करना कारित करेगा और न ही इसका पता लगने देगा।

6. अन्य अपराध ।— यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अपराध करता है, तो सेवा प्रदाता तत्काल अपराध की रिपोर्ट संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को करेगा तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण को भी सूचित करेगा :

परंतु, यदि सेवा प्रदाता अनुचित साधनों का सहारा लेता है और अपराध करता है या अपराध सुगम बनाने में संलिप्त होता है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को भी उसकी रिपोर्ट करेगा।

7. परीक्षा केन्द्र के अलावे किसी अन्य परिसर का उपयोग लोक परीक्षा के लिए नहीं किया जायेगा ।— लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षा केन्द्र से भिन्न, लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना लोक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक रूप से किसी अन्य परिसर का प्रयोग कारित करना, सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपराध होगा :

परंतु, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात अपराध नहीं होगी, जहां किसी अनिवार्य बाध्यता के कारण लोक परीक्षा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन किया जाता है।

8. सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध ।—

- (1) कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति भी है, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है यदि वह व्यष्टिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ या संस्थाओं के साथ मिलकर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं की किसी लोक परीक्षा के संचालन में किसी अप्राधिकृत रीति में सहायता करता है।
- (2) सेवा प्रदाता या उसके साथ सहबद्ध किसी व्यक्ति के विषय में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध के करने की घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहता है।
- (3) जब कोई अपराध किसी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है और किसी अन्वेषण के दौरान प्रथम दृष्ट्या यह साबित कर दिया जाता है कि वह किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या ऐसे सेवा प्रदाता के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा :

परंतु, इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

अध्याय 3

अपराधों के लिए दंड

9. संज्ञेय अपराध ।— इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होंगे।
10. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए शास्ति ।—
- (1) इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों और अपराधों में संलिप्त व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :
 - (2) सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के अधिरोपण से भी दंडनीय होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व के सौंपे जाने पर चार वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।
 - (3) जहाँ अन्वेषण के दौरान यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सेवा प्रदाता के किसी निदेशक, ज्येष्ठ प्रबंधन या उसके भारसाधक व्यक्तियों की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और एक करोड़ रुपये के जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :
 - (4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी दंड का दायी नहीं ठहराएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और उसने ऐसे अपराध को कारित होने से निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।
11. संगठित अपराध ।—
- (1) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके अंतर्गत परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था भी है, कोई संगठित अपराध कारित करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :
 - (2) यदि संस्था किसी संगठित अपराध को कारित करने में अंतर्वलित पाई जाती है तो उसकी संपत्ति कुर्की और सम्पहरण के अधीन होगी। इसके अतिरिक्त, परीक्षा की समानुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी।
- अध्याय 4
जांच और अन्वेषण
12. अधिकारियों को जाँच करने का अधिकार ।—
- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उप-अधीक्षक से अन्यून पंक्ति का अधिकारी करेगा।
 - (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को अन्वेषण को किसी अन्वेषण अभिकरण को निदिष्ट करने की शक्तियां होगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

13. लोक परीक्षा प्राधिकार के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।— लोक परीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हैं, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।
14. किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।— इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होगी :
परंतु, किसी लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवा में लोक सेवक ऐसी लोक परीक्षा प्राधिकरण के सेवा नियमों के निबंधनों में प्रशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे :
परंतु यह और कि, कोई भी बात ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निवारण नहीं करेगी जहां प्रथम दृष्ट्या इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने का मामला विद्यमान होता है।
15. इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों के अतिरिक्त होंगे।— इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में :
परंतु, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखत जिसका विधि का बल होने के नाते प्रभाव है, में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।
16. नियम बनाने की शक्ति।—
(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—
(क) लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अंगीकृत किए जाने के लिए प्रक्रियाएं, प्रोसेस, कार्यकलाप अधिकथित करना :
(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए।
17. नियमों का निर्धारण।— इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए या जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
18. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :—
(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा तीन वर्ष के भीतर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
19. निरसन एवं व्यावृत्ति।— यह अधिनियम अनुसूची में उल्लिखित सभी लोक परीक्षा प्राधिकरणों पर लागू होगा और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए पूर्ववर्ती अधिनियम, यदि कोई हो, तो, उसे निरस्त माना जायेगा। किसी अन्य लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिए अनुचित साधनों की रोकथाम से संबंधित अधिनियम, जिसका अनुसूची में उल्लेख नहीं है, पूर्ववत् लागू रहेगा।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अनुसूची
[धारा-2 (ट) को देखें]

निम्नलिखित द्वारा संचालित कोई परीक्षा:-

1. बिहार लोक सेवा आयोग
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग
3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग
4. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग
5. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग
6. केन्द्रीय सिपाही चयन परषद, बिहार
7. अन्य कोई प्राधिकरण, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

6 अगस्त 2024

सं० एल०जी०-01-15/2024-4830/लेज:।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा dated-05th August, 2024 को अनुमत बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 16, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 16, 2024)
**THE BIHAR PUBLIC EXAMINATIONS
(PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 2024.**
AN
ACT

to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Bihar State Legislative in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**CHAPTER-1
PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement :-

- (1) This Act may be called the Bihar Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in official Gazette, appoint.

2. Definitions :- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “candidate” means a person who has been granted permission by the public examination authority to appear in public examination and includes a person authorised to act as a scribe on his behalf in the public examination;
- (b) “communication device” shall have the same meaning assigned to it in clause (ha) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000;

- (c) "**competent authority**" shall mean the Department of the State Government administratively concerned with the public examination authority.
- (d) "**computer network**", "**computer resource**" and "**computer system**" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (j), (k) and (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000;
- (e) "**conduct of public examination**" shall include all the procedures, processes and activities, as may be prescribed, for being adopted for the conduct of public examination;
- (f) "**institution**" means any agency, organisation, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, by whatever name it may be called, which is other than the public examination authority and the service provider engaged by such authority.
- Explanation.**— For the purposes of this clause, it is clarified that "company" includes a company as defined in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013; or a limited liability partnership firm as defined in clause (n) of sub-section (1) of section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008;
- (g) "**Notification**" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notify" shall be construed accordingly;
- (h) "**Organised crime**" means an unlawful activity committed by a person or a group of persons indulging in unfair means in collusion and conspiracy to pursue or promote a shared interest for wrongful gain in respect of a public examination;
- (i) "**Person associated with a service provider**" means a person who performs services for or on behalf of such service provider irrespective of whether such person is an employee or an agent or a subsidiary of such service provider, as the case may be;
- (j) "**Prescribed**" means prescribed by rules made under this Act;
- (k) "**Public examination**" means any examination conducted by the public examination authority, as specified in the Schedule, or conducted by such other authority as may be notified by the State Government.
- (l) "**Public examination authority**" means an authority as specified by the State Government by a notification, from time to time for conducting the public examinations;
- (m) "**Public examination centre**" means such premises, which is selected by the service provider or otherwise selected by the public examination authority, to be used for conduct of public examination and which, amongst others, may include any school, computer centre, institution, any building or part thereof and the same shall include the entire periphery and land

- appurtenant thereto which may be used for security and other related reasons for conduct of the public examinations;
- (n) "**Service provider**" means any agency, organisation, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, including its associates, sub-contractors and provider of support of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for conduct of public examination; and
- (o) "**State Government**" means Government of Bihar.
- (2) Words and expressions used herein but not defined and defined under any other law for the time being in force, shall have the same meanings as assigned to them in those laws.

CHAPTER -2

UNFAIR MEANS AND OFFENCES

3. **Unfair means.**— The unfair means relating to the conduct of a public examination shall include any act or omission done or caused to be done by any person or group of persons or institutions, and include but not be restricted to, any of the following acts for monetary or wrongful gain—
- (i) leakage of question paper or answer key or part thereof;
 - (ii) participating in collusion with others to effect leakage of question paper or answer key;
 - (iii) accessing or taking possession of question paper or an Optical Mark Recognition response sheet without authority;
 - (iv) providing solution to one or more questions by any unauthorized person during a public examination;
 - (v) directly or indirectly assisting the candidate in any manner unauthorisedly in the public examination;
 - (vi) tampering with answer sheets including Optical Mark Recognition response sheets;
 - (vii) altering the assessment except to correct a bona fide error without any authority;
 - (viii) willful violation of norms or standards set up by the State Government for conduct of a public examination on its own or through its agency;
 - (ix) tampering with any document necessary for short-listing of candidates or finalising the merit or rank of a candidate in a public examination;
 - (x) deliberate violation of security measures to facilitate unfair means in conduct of a public examination;
 - (xi) tampering with the computer network or a computer resource or a computer system;
 - (xii) manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations;

- (xiii) threatening the life, liberty or wrongfully restraining persons associated with the public examination authority or the service provider or any authorised agency of the Government; or obstructing the conduct of a public examination;
- (xiv) creation of fake website to cheat or for monetary gain; and
- (xv) conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters to cheat or for monetary gain.
4. **Conspiracy for unfair means.**— No person or group of persons or institutions shall collude or conspire to facilitate indulgence in any such unfair means.
5. **Disruption to conduct public examination :-**
- (1) No person, who is not entrusted or engaged with the work pertaining to the public examination or conduct of public examination or who is not a candidate, shall enter the premises of the examination centre, with intent to disrupt the conduct of the public examination.
- (2) No person authorised, engaged or entrusted with the duties to conduct public examination shall, before the time fixed for opening and distribution of question papers—
- (a) open, leak or possess or access or solve or seek assistance to solve such question paper or any portion or a copy thereof in unauthorised manner for monetary or wrongful gain;
- (b) give any confidential information or promise to give such confidential information to any person, where such confidential information is related to or in reference to such question paper for monetary or wrongful gain.
- (3) No person, who is entrusted or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is authorised in furtherance of his duties so to do, reveal or cause to be revealed or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge for any undue advantage or wrongful gain.
6. **Other offences.**— If any person or group of persons or institution commits any unfair means or offence under sections 3, 4 and section 5, the service provider shall forthwith report the offence to the concerned police authorities and also inform the public examination authority:
- Provided that, if the service provider resorts to unfair means and commits the offence or is involved in facilitating an offence, the public examination authority shall report the same to the concerned police authorities.
7. **No premises other than examination centre shall be used for public examination.**—It shall be an offence for the service provider or any person associated with the service provider to cause any premises, other than the examination centre, authorised by the public examination authority, to be alternatively used for the purpose of holding public examination, without the written approval of the public examination authority:

Provided that, nothing contained in this section shall be an offence where any change in the examination centre without prior consent of the public examination authority is due to any force majeure.

8. **Offences in respect of service providers and other persons :-**

- (1) Any person, including the person associated with a service provider, shall be deemed to have committed an offence if he individually or in collusion with any other person or group of persons or institutions assists any person or group of persons or institutions in any manner unauthorisedly in the conduct of public examination.
- (2) Service provider or any person associated with it shall be deemed to have committed an offence if he fails to report incidence of any unfair means or commission of any offence.
- (3) Where an offence committed by a service provider is, prima facie, established during investigation to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer of such service provider, such person shall also be liable to be proceeded against:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

CHAPTER-3

PUNISHMENT FOR OFFENCES

9. **Cognizable offences.**— All offences under this Act, shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable.

10. **Punishment for offences under this Act :-**

- (1) Any person or persons resorting to unfair means and offences under this Act, shall be punished with imprisonment for a term not less than three years but which may extend to five years and with fine up to ten lakh rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed, as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023:
- (2) The service provider shall also be liable to be punished with imposition of a fine up to one crore rupees and proportionate cost of examination shall also be recovered from such service provider and he shall also be barred from being assigned with any responsibility for the conduct of any public examination for a period of four years.
- (3) Where it is established during the investigation that offence under this Act has been committed with the consent or connivance of any Director, Senior Management or the persons in-charge of the service provider firm, he shall be liable for imprisonment for a term not less than three years but which may extend to ten years and with fine of one crore rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023:

- (4) Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
11. **Organised crimes**
- (1) If a person or a group of persons including the examination authority or service provider or any other institution commits an organised crime, he shall be punished with imprisonment for a term not less than five years but which may extend to ten years and with fine which shall not be less than one crore rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023:
- (2) If an institution is involved in committing an organised crime, its property shall be subjected to attachment and forfeiture and proportionate cost of examination shall also be recovered from it.

CHAPTER-4 INQUIRY AND INVESTIGATION

12. **Officers empowered to investigate :-**
- (1) An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police shall investigate any offence under this Act.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government shall have the powers to refer the investigation to any Investigating Agency.

CHAPTER-5 MISCELLANEOUS

13. **Members, officers and employees of public examination authority to be public servants.**—The Chairperson, Members, officers and other employees of the public examination authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023:
14. **Protection of action taken in good faith by any public servant.**—No suit, prosecution or other legal proceedings under this Act, shall lie against any public servant, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in the discharge of his official functions or in exercise of his powers:
Provided that, the public servants in the service of any public examination authority shall be subject to administrative action in terms of service rules of such public examination authority:
Provided further that, nothing shall prevent proceeding against such public servants where, prima facie case exists for establishing commission of an offence under this Act.
15. **Provisions of this Act to be in addition to other laws.**—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force:

Provided that, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law in force.

16. **Power to make rules :-**

- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) to lay down procedures, processes and activities for being adopted for conduct of the public examination;
 - (b) any other matter which is to be or may be prescribed.

17. **Laying of rules.**— Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session, immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

18. **Power to remove difficulties :-**

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions within three years, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for removal of difficulty.
- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Bihar Legislative.

19. **Repeal and Savings.**— This Act shall apply for all the Public Examination Authorities mentioned in the Schedule and previous Act for prevention of unfair means, if any, shall be deemed to be repealed. The Act related to prevention of unfair means for any other Public Examination Authority not mentioned in the Schedule shall continue to be in force.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

THE SCHEDULE

[See Section 2 (k)]

ANY EXAMINATION CONDUCTED BY-

1. Bihar Public Service Commission.
2. Bihar Staff Selection Commission.
3. Bihar Technical Service Commission
4. Bihar State University Service Commission.
5. Bihar Police Sub-Ordinate service commission.
6. Central Selection Board of Constable, Bihar.
7. Such Other authority as may be notified by the State Government.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 737-571+400-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>